कार्यालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, कोटा

क्रमांक/न्याय/2022/धारा-144/210 दिनांक- 21-03-2022

-:आदेश:-

आदेश अन्तर्गत धारा 144 दण्ड प्रक्रिया संहिता-1973

जिला पुलिस अधीक्षक, कोटा शहर के पत्र क्रमांक 3628-30 दिनांक 20.03.2022 से अवगत कराया गया है कि आगामी दिनों में आयोजित होने वाले साम्प्रदायिक दृष्टि से संवेदनशील त्यौहारों यथा चेटीचण्ड, श्री महावीर जयंती, गुड फाईडे, बैशाखी, जुमातुलविदा आदि एवं वर्तमान में सिनेमाघरों में प्रदर्शित की जा रही **"द कश्मीर फाईल्स"** फिल्म के मध्यनजर कोटा जिले में कानून व्यवस्था बनाये रखने के लिए समय रहते भीड़ के एकत्रीकरण, धरने प्रदर्शन, सभा एवं जुलूस आदि पर रोक लगाया जाना आवश्यक है।

साथ ही पत्र क्रमांक 3939 दिनांक 20.03.2022 से अवगत कराया गया है कि चम्बल नदी, इसकी नहरों (LMC व RMC) व इनकी वितरिकाओं में युवाओं द्वारा स्नान किये जाने, पानी के तेज बहाव एवं फिसलन तथा तैरना नही जानने के बाउजूद जानबूझकर स्नान करने के प्रयास के दौरान वर्ष के प्रारम्भ से लेकर अब तक करीब 3 दर्जन युवा डूबने से काल का ग्रास बन चुके है। एक ओर जहां इन युवाओं की मौत से इनके परिवार पर घोर वज्रपात हुआ है वहीं इनकी मृत्यु से इनके शवों की तलाश में पुलिस, एसडीआरएफ एवं नगर निगम के रेस्क्यू दस्तों को जान जोखिम मे डालकर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाना पड़ता है। शवों के मिलने में विलम्ब होने पर अनेक बार कानून व्यवस्था की स्थिति उत्पन्न होने के हालात बने है।

आगामी दिनों में आयोजित होने वाले त्यौहारों, वर्तमान में सिनेमाघरों में प्रदर्शित की जा रही **"द कश्मीर फाईल्स"** फिल्म तथा चम्बल नदी, इसकी नहरों व इनकी वितरिकाओं में युवाओं द्वारा स्नान किये जाने के मध्यनजर आमजन की सुरक्षार्थ एतिहातन कोटा जिले में धारा 144 दण्ड प्रकिया संहिता लागू करना अति आवश्यक है।

कोटा जिला साम्प्रदायिक दृष्टि से अतिसंवेदनशील है। असामाजिक तत्वों द्वारा आगामी त्यौहारों के आयोजन एवं वर्तमान में सिनेमाघरों में प्रदर्शित की जा रही **"द कश्मीर फाईल्स"** फिल्म एवं चम्बल नदी, इसकी नहरों व वितरिकाओं में युवाओं द्वारा स्नान किये जाने से हो रही मौतों तथा धरने प्रदर्शन, सभा एवं जुलूस आदि से कानून एवं शांति व्यवस्था एवं लोक व्यवस्था की स्थिति प्रभावित हो सकती है। जिससे सामान्य जनजीवन विपरीत रूप से प्रभावित हो सकता है तथा विधि प्रतिकूल अन्य घटनाएं घटित होने की प्रबल सम्भावनाएं हो सकती है एवं समाज व विभिन्न समुदायों के बीच तनाव उत्पन्न हो सकता है, जिससे लोगों के जानमाल की हानि हो सकती है। राजनैतिक, सामाजिक, धार्मिक व्यक्तियों के आगमन से आम जनजीवन प्रभावित होगा एवं लोकशान्ति भंग होने की सम्भावना हो सकती है।

अतः मैं **राजकुमार सिंह, जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट कोटा** दण्ड प्रकिया संहिता 1973, की धारा 144 के अन्तर्गत उपरोक्त स्थिति के मध्यनजर प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतिहातन **कोटा जिले में दिनांक 22.03.2022 की प्रातः 06:00 बजे से दिनांक 21.04.2022 को रात्रि 12:00 बजे तक** के लिए निम्न निषेधात्मक आदेश देता हूं कि :-

9. जिले की सीमा में कहीं भी पांच या पांच से अधिक व्यक्ति एकत्रित नही होंगें, कोई भी संगठन, संस्था अथवा समुदाय सभा नहीं करेगें एवं जूलुस नही निकालेगें तथा ना ही कोई प्रदर्शन करेंगें। यह प्रतिबंध सरकारी कार्यक्रम, पुलिस , निर्वाचन संबंधी एवं कोविड-19 वैक्सीनेशन कार्यक्रम पर लागू नही होगा।
10. जिले की सीमा में कोई भी व्यक्ति अस्त्र शस्त्र यथा राईफल, रिवाल्वर, पिस्तोल, बन्दूक, तीर कमान, आदि एवं किसी भी प्रकार के तेजधार वाले अस्त्र जैसे गंडासा, फर्सी तलवार, चाकू, गुप्ती, त्रिशुल , संगीन, पंजा आदि तथा लाठी, पत्थर, ईंट आदि लेकर सार्वजनिक स्थान पर विचरण नहीं करेगा न ही ऐसे अस्त्र, शस्त्रों का प्रदर्शन करेगा एवं न ही अवैध वाहन का संचालन करेगा। सिक्ख समुदाय के व्यक्तियों को धार्मिक परम्परा के अनुसार नियमानुसार निर्धारित कृपाण रखने की छूट होगी। यह प्रतिबंध सीमा सुरक्षा बल, राजस्थान सशस्त्र पुलिस बल, सिविल पुलिस, होमगार्ड, सेना एवं उन राज्य एवं केन्द्रीय कर्मचारियों पर जो कानून एवं शांति व्यवस्था के संबंध में अपने हथियार रखने को अधिकृत किये गये है, उन पर लागू नहीं होगा। प्रतिबंधात्मक अवधि में दृष्टिहीन तथा बुजुर्ग व्यक्ति जो बिना लाठी के नही चल सकते हैं, वे लाठी का सहारा ले सकेगें।

11. जिले में कोई भी व्यक्ति अनाधिकृत विस्फोटक पदार्थ, घातक रासायनिक एवं अत्यन्त ज्वलनशील पदार्थ लेकर नहीं चलेगा और ना ही उसका प्रयोग करेगा या प्रयोग करने के लिए प्रेरित करेगा। विस्फोटक पदार्थ बंद डिब्बों, कांच की बोतलों में भी लेकर नही चलेगें व न ही इसका प्रयोग करेंगें।
12. जिले में कोई भी सोशल मीडिया के माध्यम से अनावश्यक तथ्य आदान प्रदान नहीं करेंगे जिससे शांति व्यवस्था तथा लोक शांति भंग होने की किसी भी प्रकार की सम्भावना उत्पन्न हो। कोई भी व्यक्ति ना तो स्वयं अफवाह फैलायेगा एवं न ही ऐसा कृत्य करने वाले व्यक्तियों को प्रोत्साहित करेगा।
13. कोई भी व्यक्ति ना तो स्वयं किसी भी राजकीय सम्पत्ति को नुकसान पहुचायेगा न नुकसान पहुंचाने की चेष्टा करेगा और न ही किसी अन्य को ऐसा कृत्य करने को प्रोत्साहित करेगा।
14. कोई भी व्यक्ति, संस्था या जनसमूह किसी भी प्रकार के साम्प्रदायिक विद्वेष उत्पन्न करने वाले आपत्तिजनक व उत्तेजनात्मक नारे नही लगायेगा।
15. कोई भी व्यक्ति ध्वनि प्रसारण यत्रों यथा डी0जे0, लाउड स्पीकर आदि के माध्यम से साम्प्रदायिक सद्भाव को बिगाडने वाले गाने नही बजायेगा। ध्वनि प्रसारण यंत्रों के संबंध में राज्य सरकार द्वारा जारी दिशा–निर्देशों की पालना की जायेगी।

उपर्युक्त प्रतिबंध कानून एवं व्यवस्था से संबंधित ड्यूटी में संलग्न अधिकारियों/कर्मचारियों एवं पुलिस कर्मियों पर लागू नही होगा।

चूकिं इस आदेश की तामील व्यक्तिशः करना संभव नही है। अतः उक्त आदेश को एक पक्षीय जारी किया जा रहा है। कोटा जिले के समस्त मुख्य स्थानों पर आदेश चस्पा किया जाकर समाचार पत्रों एवं प्रचार–प्रसार के माध्यम से समस्त नागरिकों को अवगत करा दिया जावे। यह आदेश सम्पूर्ण कोटा जिले में तुरन्त प्रभाव से लागू होगा तथा दिनांक 21 अप्रैल, 2022 तक प्रभावशील रहेगा। इस आदेश का उल्लंघन करने पर भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 के तहत दण्डित कराने की कार्यवाही की जावेगी।

यह आदेश आज **दिनांक 21 मार्च, 2022** को मेरे हस्ताक्षर एवं मुद्रा से जारी किया गया ।

जिला मजिस्ट्रेट
कोटा (राज.)

क्रमांक/न्याय/धारा 144/2022/ 810

दिनांक 21–03–2022

प्रतिलिपि:– निम्न को जरिये ई–मेल सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1. माननीय मुख्य सचिव महोदय, राजस्थान सरकार जयपुर ।
2. माननीय अति0 मुख्य सचिव महोदय, गृह विभाग राजस्थान जयपुर।
3. माननीय संभागीय आयुक्त महोदय कोटा ।
4. माननीय महानिरीक्षक पुलिस, कोटा रेंज कोटा।
5. जिला पुलिस अधीक्षक कोटा शहर/कोटा ग्रामीण को प्रेषित कर लेख है कि आपके स्तर से इसकी पालना हेतु सभी थानाधिकारियों को निर्देशित करावें।
6. अति0जिला मजिस्ट्रेट प्रशा0/शहर/सीलिंग, कोटा।
7. आयुक्त नगर निगम कोटा उत्तर/दक्षिण
8. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, कोटा
9. सचिव, नगर विकास न्यास कोटा।
10. प्राचार्य मेडिकल कॉलेज, कोटा
11. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कोटा
12. समस्त उपखण्ड मजिस्ट्रेट/विकास अधिकारी/तहसीलदार
13. समस्त जिला स्तरीय अधिकारी..............
14. उप निदेशक, सूचना एंव जन सम्पर्क कार्यालय ,कोटा
15. निजी सहायक जिला कलक्टर/अति0 जिला कलक्टर, कार्यालय कोटा।

अति0 जिला मजिस्ट्रेट,
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
(शहर) कोटा